

सराहनीय कार्य जनपद विजनोर

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 204 / 2021 धारा 457 / 380 भादवि बनाम अज्ञात मे 02 अभियुक्तगण 1—हीरालाल पुत्र बाबूलाल निं0 ग्राम उचाड थाना गुराहट जनपद दतिया, म0प्रदेश 2—आकाश पुत्र राजेन्द्र निं0 ग्राम बरसुला थाना गुराहट जनपद दतिया, म0प्रदेश मय चोरी किये गये माल 11 शर्ट, 1 पेन्ट एवं 400 / नगद मय एक—एक अदद चाकू नाजायज सहित रेलवे स्टेशन के पास बने पम्प हाउस नं0 1 के पास गुलमोहर के पेड के नीचे से दिनांक 24.04.2021 की रात्रि मे समय 21:40 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना नजीबाबाद पर पर मु0अ0सं0 204 / 2021 धारा 457 / 380 भादवि मे धारा 411 भादवि की बढ़ोतरी की गयी एवं शस्त्र बरामदगी के संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 206 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम हीरालाल तथा मु0अ0सं0 207 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम आकाश पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण—

अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि हम लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं नौकरी के लिये आये थे। दिनांक 23.04.2021 को हम दोनों ने नजीबाबाद मार्किट मे रैकी की थी तथा एक दुकान को चोरी हेतु चिन्हित कर लिया था दिनांक 23 / 24.04.2021 की रात्रि मे हम दोनों नें उक्त दुकान में दुकान का शटर तोड़कर व कूमल लगाकर चोरी की थी। हम लोगों के हाथ कुछ रेडीमेड की शर्ट व जीन्स पेन्ट व गल्ले मे रखे 400 / रूपये ही लग पाये थे कि मौहल्ले मे जाग हो गयी थी, इस डर से हम लोग यही सामान लेकर भाग गये थे। लाक डाऊन होने के कारण हम लोग पूरे दिन रेलवे स्टेशन के अगल—बगल पड़े रहे और ट्रेन का इन्तजार करते रहे थे कि आप लोगों नें हम दोनों को चोरी किये गये सामान के साथ पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

1—हीरालाल पुत्र बाबूलाल निं0 ग्राम उचाड थाना गुराहट जनपद दतिया, म0प्रदेश

2—आकाश पुत्र राजेन्द्र निं0 ग्राम बरसुला थाना गुराहट जनपद दतिया, म0प्रदेश

बरामदगी—

1—दुकान से चोरी गयी 11 शर्ट एवं 1 पैन्ट

2—400 / नगद

3—दोनों अभियुक्तगण से एक—एक चाकू नाजायज

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण हीरालाल—

1—मु0अ0सं0 204 / 2021 धारा 457 / 380 / 411 भादवि थाना नजीबाबाद

2—मु0अ0सं0 206 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना नजीबाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण आकाश—

1—मु0अ0सं0 204 / 2021 धारा 457 / 380 / 411 भादवि थाना नजीबाबाद

2—मु0अ0सं0 207 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना नजीबाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम— 1—प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश गौड 2—उ0नि0 श्री अजय कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी जापतागंज 3—हे0का0 349 शमशेर अली 4—का0 766 अमित कुमार थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।



थाना नहटौर पुलिस द्वारा पेट्रौल पम्प पर फायरिंग कर सनसनी फैलाने वाले शेष अभियुक्तगण में से अभियुक्त प्रिंस कुमार अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार।

दिनांक 22.04.2021 को थाना नहटौर क्षेत्रान्तर्गत झालू चौराहे के पास पेट्रौल पम्प पर दो पक्षों के 10—12 व्यक्तियों द्वारा आपसी कहासुनी के दौरान हवाई फायरिंग कर सनसनी फैलाये जाने के संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 115 / 2021 धारा 147 / 148 / 149 / 307 / 336 / 188 / 269 / 270 भादवि0 व 7 सीएलए एकट तथा 3 / 4 महामारी अधिनियम बनाम 10—12 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुये तत्काल नहटौर पुलिस को घटना में संलिप्त अभिगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। थाना नहटौर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में आये अभियुक्त प्रिंस कुमार पुत्र जसराम सिंह निवासी ग्राम गारवपुर थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर को एक तमंचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से शस्त्र बरामदगी के संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 125 / 2021 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना नहटौर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में 08 अभियुक्तगण को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सीसीटीवी में पहचान किये अन्य अभिगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियो का नाम व पता:-

प्रिंस कुमार पुत्र जसराम सिंह निवासी ग्राम गारवपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

- 1—एक अदद तमचा 12 बोर
- 2—दो जिंदा कारतूस 12 बोर



थाना नजीबाबाद:- थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त रियाज पुत्र चांद अली निवासी ग्राम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को चोरी गई चाली व लोहा करीब 20 किलो सहित गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में मु0अ0सं0 202/21 धारा 379/411 आईपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना नजीबाबाद:- थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त मेहताब पुत्र सरदार निवासी ग्राम सुल्तानपुर सदा चंद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 205 /21 धारा 4/25 आर्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

